ISSN 2395-031X

महिला आत्मनिर्भरता एवं शासकीय प्रयास

डॉ. अंजना चतुर्वेदी
प्राध्यापक - अर्थशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर, उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

मानवीय सभ्यता के विकास में इतिहास पर दृष्टिपात करते हुए यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि संपूर्ण काल में महिलायें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रहीं । महिलाओं की खामोशी की संस्कृति ने उनके खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि की है । वैश्विक परिदृश्य में भी जो उपलब्धियां महिलाओं ने प्राप्त की वे जनसंख्या के अनुपात में आंशिक ही है ।

मुख्य शब्द - महिला, पूँजीवाद, शिक्षा, योजना ।

महिला पुरूष दोनों रथ के दो पहिए की भाति है इसलिए समय का रथ एक पहिए के कमजोर एवं उपेक्षित होने कारण तीव्र गति से नहीं चल पाया, कालांतर में गति बढ़ाने की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई एवं कमजोर पक्ष को मजबूत करने के लिए सार्थक प्रयासों पर विचार किया जाने लगा ।

ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण से मार्क्स-एंगल्स ने सभी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं और सांस्कृतिक-वैधिक-नैतिक अधि रचनाओं की व्याख्या करते हुए नारी प्रश्न के वर्ग मूलों और इतिहास-पिठिका को उद्घाटित किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि - निजी संपति पर आधारित सामाजिक संबंधों-संस्थाओं-मूल्यों के अस्तित्व में आने के साथ ही स्त्री समुदाय की दासता की शुरूआत हुई । उन्होंने बताया कि बेवस स्त्रियों और वच्चों की सस्ती श्रमशक्ति की लूट पूँजीवादी समृद्धि की अट्टालिका की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है ।[1]

पूँजीवाद के समापन को स्त्रीमुक्ति की दिशा में प्रथम प्रयास माना जा सकता है । ब्रिटेन में जे. ऐस. मिल स्त्री अधिकारों के पक्षधर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । 1867 में स्त्री मताधिकार का प्रस्ताव संसद में रखा । अमेरिका में 1869 में स्त्री संगठन गठित हुए फ्रांस में 1882 में फ्रांसीसी स्त्री अधिकार लीग का गठन हुआ ।[2]

महिला अधिकार संघर्ष का इतिहास इसके पूर्व में जारी था इसमें "मेरी वोल्सटन क्राट का योगदान उल्लेखनीय है उनकी कृति- Avindication of the Rights of Women 1792 को प्रथम प्रतिष्ठित कृति होने का सम्मान प्राप्त है ।"[3]

भारतीय परिवेश का उल्लेख करें तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति वैदिक काल से 9वीं शताब्दी तक भी बहुत सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता । वैदिक युग में पुत्री का स्थान अपेक्षाकृत निम्न माना गया । पुत्र

का स्थान वंश चलाने एवं युद्ध की आवश्यकताओं के चलते सर्वोपरी था । वैदिक युग के समान ही परवर्ती काल में भी हिन्दू परिवारों में कन्या की उपेक्षा होती थी ।[4]

ऋग्वैदिक काल में पत्नि के रूप में स्त्री सम्मानित थी, अपलोक यज्ञ का अधिकार पति को न था । विश्व की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की उपेक्षा, शोषण बहुत काल तक संभव नहीं था अतः नारी स्वावलंबन विश्वमंच के साथ भारत में भी प्रभाव डालने लगा जिसके फलस्वरूप महिला जाग्रति एवं उनके विकास के सुझावों के प्रयत्नों को सर्वोपरि महत्व दिया जाने लगा।

स्त्री शिक्षा से समाज के बदलते मूल्यों तथा आर्थिक स्वावलम्बन ने उन्हें जहाँ आर्थिक व राजनैतिक अधिकारों के प्रति सजग बनाया है, सामाजिक चेतना जाग्रत करने में योग दिया, वहीं आजकल स्त्रियों ने नवीन भूमिकाएं ग्रहण की और प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ती हुई महत्वपूर्ण भूमिकाओं के परिणाम स्वरूप ही विश्व की अर्थ व्यवस्था के मंच पर महिलाओं की स्थिति, प्रभाव व आर्थिक भूमिकाओं संबंधी अध्ययनों व अनुसंधानों में निरन्तर वृद्धि हुई है । "संयुक्त राष्ट्र संघ के सुझाव पर 1975 का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया ।"[6]

भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने विकास के लिए आवश्यक शर्त पर पहले की अपना मत प्रकट कर दिया था । यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा । महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जाएगा ।[7]

इसी तारतम्य में देश में महिला एवं बाल विकास योजनाएं तैयार की गई जिनके सफल एवं त्वरित क्रियान्वयन से महिलाओं में चेतना का प्रार्दुभाव हुआ । देश की विभिन्न पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास पर अधिक बल दिया जाने लगा । केन्द्र स्तर पर प्रथकतः "महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय" की स्थापना की गई जबकि पूर्व में यह समाज कल्याण मंत्रालय में ही समाहित था ।[8]

समस्त प्रयासों का सुफल महिला साक्षरता के बढ़ते प्रतिशत के आंकड़े भी बयां करते हैं जहाँ 1951 में महिला साक्षरता मात्र 9% थी 2011 में वह बढ़कर 65% हो गई ।[9]

केन्द्र सरकार के प्रयासों में सहयोग करते हुए राज्य सरकारों ने भी महिला सशक्तीकरण में अपना अंशदान करते हुए अनेक पहल कर उनके सर्वागीण विकास का प्रयास किया म.प्र. सरकार भी इस दिशा में अभूतपूर्व प्रयास करने में जुटी हुई है ।

गोद भराई योजना- यह गर्भवती स्त्रियों हेतु महिला एवं बाल विकास की योजना है यानि गर्भवती महिला के खान-पान की उचित व्यवस्था की जा सके ।

लाड़ली लक्ष्मी योजना- लड़की पैदा होने पर सरकार द्वारा उसे पंजीकृत एक मुश्त राशि देने का प्रावधान ।

जननी सुरक्षा- वाहन सुविधा एवं प्रसव सुविधा बालिका शिक्षा- शिक्षा, गणवेश पुस्तकें साईकिल, छात्रावास एवं अन्य सुविधायें

रोजगार आत्मनिर्भरता- पंचायत, वन समितियों नगरी निकायों में 50% आरक्षण महिलाओं की समृद्धि एवं निकाय के लिए विभागीय बजट में अलग से प्रावधान, 38 जिलों में महिला डेस्क, कार्यपालिका बल में उप निरीक्षकों की भर्ती में 30% आरक्षण भर्ती में 10% आरक्षण, रानी दुर्गावती बटालियन के लिए 329 पदों का सृजन, महिलाओं में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए 2 लाख रूपये का रानी दुर्गावती पुरूस्कार । समाज सेवा एवं वीरता के क्षेत्र में 44 लाख का राजमाता विजयाराजे सिंधिया एवं रानी अंवतिबाई पुरूस्कार, खेल में महिलाओं को प्रोत्साहन के राज्य अकादमी की ग्वालियर में स्थापना सरकार के प्रयास हैं ।[10]

कन्यादान योजना- गरीब, निशक्त जन, विधवा परित्यक्ता के निर्वाह हेतु सरकारी सहायता हेतु पंचायत स्थायी निकाय एवं स्वायत्त संस्थाओं को अधिकार आवंटित किए गए हैं ।

भ्रूण लिंग परीक्षण प्रतिबंध :- बालिका भ्रूण हत्या रोकने परीक्षण के अपराध घोषित कर दण्ड का प्रावधान किया गया ।[11]

मध्यप्रदेश शासन की नई महिला नीति (2008-12) का लक्ष्य की विकास की मुर ा धारा में महिलाओं की गरिमापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना निश्चित किया गया है । महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा एवं सशक्तिकरण उनकी समग्र क्षमताओं का विकास, उनसे संबंधित नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों, योजनाओं का परिणाम मूलक क्रियान्वयन करना, इस नीति के मुख्य बिंदु हैं। जिन नीतिगत प्रावधानों का क्रियान्वयन नई महिला नीति के तहत कराया जाएगा उनमें महिलाओं के घटते लिगांनुपात को संतुलित कर बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम की जाएगी । महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराधों के नियंत्रित करने के लिए तंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी । महिलाओं को आय एवं रोजगार बढ़ाने के साथ उनकी क्षमताओं को विकसित किया जाएगा । महिलाओं की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता के अनुसार लोक व्यय में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जेण्डर आधारित बजट व्यवस्था का निर्धारण और क्रियान्वयन निर्धारित किया जावेगा । महिला नीति में श्रमिक महिलाओं के हितों के संरक्षण एवं संसाधन की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है । कार्यक्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना की रोकथाम के प्रावधान भी नई महिला नीति में रखे गए हैं । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वन जल स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी ।[12]

केन्द्र से लेकर राज्य एवं स्थानीय प्रशासन एवं निजि प्रयास भी महिलाओं की दशा एवं दिशा परिवर्तन के लिए अपनी सक्रिय भूमिका का निवर्हन कर रहे हैं । इस दिशा में किया गया एक छोटा कदम भी महत्वपूर्ण होता है । इसी दिशा में सागर में लिए गए एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रयास जो एक महिला द्वारा कराया गया था, उल्लेख करना आवश्यक समझती हूँ । 1937 में श्रीमती गुलाबबाई मलैया ने महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए एक सराहनीय प्रयास किया । उन्होंने सागर में निजी प्रसूतिका ग्रह की स्थापना की एवं महिलाओं के घर के बजाय सुरक्षित सुविधा संपन्न स्थान पर प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित किया । उस परतंत्रता के समय में भी वह (तांगा वाहन) व्यक्तिगत वाहन में महिलाओं को प्रसूतिका गृह लाने का कार्यस्वयं करती थीं । यह संस्था भी सागर में जीवित है और निर्धन एवं असहाय वर्गो की सेवा में समर्पित हैं ।[13]

यह तथ्य प्रमाणित करता है कि भारत में प्रत्येक क्षेत्र में अपने स्तर पर छोटे-बड़े सभी प्रयासों का यह सुफल हमें दृष्टिगोचर हो रहा है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है । आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएँ अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर अपनी कार्यक्षमता का लोहा मनवा रही हैं । भारत सरकार की महिला एवं मंत्रालय की कृष्णा तीरथ भी महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास कर रही हैं । एक कुशल प्रबंधक के गुणों में भरपूर कृष्णा तीरथ का शासकीय प्रबंधन के मामले में रूख बहुत साफ एवं नवीनता पूर्ण है । उनके द्वारा उठाए गए कदमों में कानून में महत्वपूर्ण नए अधिनियमों का जुड़ाव भी है, जिसका गहरा एवं दूरगामी असर पड़ा है। महिलाओं के लिए युगांतकारी कानून "द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फार सेक्युअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस" इस मंत्रालय द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं ।

- सबला
- आई.सी.डी.सी. (समेकित बाल विकास) को पुनगर्ठित एवं मजबूत करना
- दुखी एवं तनावग्रस्त महिलाओं के लिए स्टॉप क्राइसिस सेंटर (संकट निवारण एकल केन्द्र)
- अहिंसा मैसेंजर कार्यक्रम
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2012 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन "[14] प्रयास

अपनी कहानी परिणामों से प्रदर्शित कर रहे हैं-

- ➢ यूनीसेफ के सर्वे के अनुसार प्राथमिक कक्षा में अब 81% लड़कियों का पंजीयन होने लगा है ।
- ➢ यूएस.ए. में 17 से 25 साल की युवा महिलाएँ वहाँ के पुरूषों से 17% अधिक कमाती हैं।
- ➢ 2001 में भारत में जहाँ शहरी महिलाओं की आय 4,492 हुआ करती थी 2010 में बढ़कर 9,457 रू. हो चुकी हैं ।

सरकारी एवं निजि प्रयासों से तस्वीर के रंग बदले नजर आते हैं परंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी नजर अंदाज करने लायक नहीं है । भारत के सामाजिक विकास संकेतक उससे कम आय एवं धीमी आय वृद्धि वाले देशों से भी बदतर हैं । भारत दुनिया के निर्धनतम देशों में भी रेंकिग में पीछे हैं :- सेनिटेशन एवं आरोग्य व्यवस्था- 13वां स्थन महिला साक्षरता में 11 वां स्थान, कुपोषण के शिकार बच्चों में 15 स्थान, स्कूल में बिताए गए वर्ष में - 11वां स्थान वाल टीकाकरण दर- 13वां स्थान[16]

इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक -

छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म में[17] देश की राजधानी में 16 दिसम्बर 2012 में चलती बस - मुंबई में व्यस्त, सम्पन्न इलाके में 22 वर्षीय पत्रकार के साथ गैंगरैप-[18]

देश के विभिन्न क्षेत्रों में मासूम बालिकाओं के साथ होने वाली वीभत्स घटनाएं कुछ अलग चित्र निर्मित करती है बल्कि विश्व पटल पर देश की साख को धूमिल करती है एवं शर्मिन्दा होने को मजबूर करती हैं ।

यह सर्वमान्य तथ्य है कि एक बुरा कर्म एक सहस्त्र अच्छे कर्मो पर भारी होता है उनका यश अपयश में बदल देता है । कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों की ऐसी दुर्घटनाएँ संपूर्ण देश के लम्बी अवधि में प्रयासों

पर पानी फेरने का कार्य कर जाती है । परंतु यह घटनाएं भी सकारात्मक कार्यों पर विराम नहीं लगा पाती । इन दुर्घटनाओं के विरूद्ध में पूरा देश एक होकर अपनी अभिव्यक्ति देने लगा और महिलाओं के विफल यौन उत्पीड़न संबंधी अपराधों के लिए कड़ी सजाओं के प्रावधान के लिए फरवरी 2013 में लाए अध्यादेश का स्थान लेने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2013 Criminal Law (Amendment) Bill - 2013 का संसद के दोनों सदनों में मार्च 2013 में पारित किया गया -[19]

महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों के लिए समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा ने 23 जनवरी 2013 को ग्रह मंत्रालय को (23 दिसंबर 2012 को पहली बैठक में रिपोर्ट हेतु एक माह का समय मिला था) 640 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट में दुष्कर्म के लिए दोषियों को मृत्युदंड एवं बाल अपराध के मामले में बालिग की उम्र 18 से 16 करने सुझाव दिए ।[20]

सार्वजनिक क्षेत्र अपने दायित्व का निवर्हन मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला मानस अधिकार आयोग एवं स्वायत्त संस्थ.ओं, एन.जी.ओ. एवं स्थानीय निकायों के सामंजस्य में पूर्ण करने का प्रयास सतत कर रहा है । निजी क्षेत्र भी अपनी कार्यक्षमताओं अनुरूप भरपूर प्रयास कर रहा है, और परिवर्तित समाज का स्वरूप इनका साक्ष्य भी हैं ।

कुछ प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने होंगे-

जो प्रत्येक मां अपने बच्चों को संस्कार शिक्षा के माध्यम में कर सकती हैं :-

1. स्त्रियों के लिए समाज की दोयम दर्जे की मानसिकता को दूर करना ।
2. घर में लड़का-लड़की का भेद हटा कर ।
3. असुरक्षा की भावना को दूर करके ।
4. बच्चों में बदले की भावना को न पैदा करने की शिक्षा देकर ।
5. स्वास्थ्य वातावरण निर्मित करके ।

अवश्य ही परिवर्तित दशाएँ आवेंगी भले ही आने में समय अथवा पीढ़ी लगे तस्वीर बदलेगी अवश्य.

.. मन में है विश्वास ....

सन्दर्भ -

1. स्त्रियों की पराधीनता- जान स्टुअर्ट मिल- हिंदी अनुवाद राजकमल प्रकाशन दिल्ली विश्व क्लासिक प्रकाशन, P-17, 2013
2. वही
3. स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन- मेरी वोल्सटन क्राट हिन्दी अनुवार राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, पृ. 11, 2009
4. प्राचीन भारत में नारी- डॉ. उर्मिला प्रकाश मिश्रा म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2012
5. वही पृ. 8
6. महिला विकास कार्यक्रम- डॉ. आशुरानी, इना श्री पब्लिशर्स जयपुर, पृ. 2, 1999

7. वही- पृ. 11
8. वही- पृ. 3
9. इंडिया टुडे के-9 कनाट प्लेस, नई- दिल्ली, पृ. 54, जुलाई 2013
10. म.प्र. एक परिचय- गौतम भदौरिया, मैकग्राहिल नई दिल्ली, पृ. 20, 2013
11. वही- पृ. 20
12. वही- पृ. 20
13. श्रीमति सुलोचना मलैया सचिव प्रसूति ग्रह समितियों में प्राप्त जानकारी के अनुसार
14. इंडिया टुडे के 9 कनाट प्लेस नई दिल्ली, पृ. 25, 26, 9 अक्टूबर - 13
15. दैनिक भास्कर, रसरंग मैग्जीन डिवीजन 40 मालवीय नगर, जयपुर, रविवार - 4 अगस्त 2013
16. इंडिया टुडे, के 9 कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृ. 55, 17 जुलाई 2013
17. इंडिया टुडे, के-9 कनाट प्लेस नई दिल्ली, 25 दिसंबर 2013
18. प्रतियोगिता दर्पण, सामयिक वार्षिकी, स्वदेशी बीमा नगर आगरा पृ. 57, 2014
19. प्रतियोगिता दर्पण सामयिक वार्षिकी, स्वदेशी बीमा नगर आगरा पृ. 57, 2014
20. प्रतियोगिता दर्पण सामयिक वार्षिकी, स्वदेशी बीमा नगर आगरा पृ. 58, 2014